संयुक्त अर्हता परीक्षा योजना नीचे तालिका में दिए गए अनुसार होगी अर्थात् –तालिका

ऑनलाईन परीक्षा पद्धति के लिये

स.क्र.	समूह	प्रश्न पत्र की कुल संख्या	कुल अंक	प्रश्न पत्र का विवरण	अंक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	समूह-3	01	200	(अ) सामान्य ज्ञान, सामान्य हिन्दी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य तार्किक योग्यता, सामान्य विज्ञान, सामान्य कम्प्यूटर ज्ञान	100
				(ब) संबंधित विषय आधारित प्रश्न	100

09. पात्रता की शर्तें यथा शैक्षणिक/तकनीकी/व्यावसायिक अर्हताएं :-

9.1 अभ्यर्थी को उसके द्वारा अपना आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि को मांगकर्ता विभाग के विभागीय भरती नियमों के उपबंधों के अनुसार शैक्षणिक/तकनीकी/व्यावसायिक अर्हता धारण करना अनिवार्य होगा, इस प्रकार की योग्यता का उल्लेख मांगकर्ता विभाग द्वारा मण्डल को भेजे गए मांग पत्र में अनिवार्य रूप से करना होगा। पदों के विभिन्न समूहों की परीक्षा के लिए निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हता अनिवार्य होंगी, अर्थात् –

समूह-3 के लिए

(क) अभ्यर्थियों ने हाई स्कूल /हायर सेकेण्डरी परीक्षा (10+2) के साथ ही साथ संबंधित अभियांत्रिकी विषय में तीन वर्षीय पत्रोपाधि (डिप्लोमा) उत्तीर्ण की हो या उच्च अर्हता।

9.2 अभ्यर्थियों को आवेदित पद के लिए प्राथमिकता अंकित करनी होगी। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा में अर्ह हो जाता है तथा मण्डल द्वारा उसकी अभ्यर्थियों की अनुशंसा की जाती है तथा यदि वह नियुक्ति के लिए निर्धारित मानदण्डों को पूर्ति नहीं करता है और उसे नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया जाता है तो ऐसी दशा में उसकी अभ्यर्थिता नामंजूर हो जाएगी और वह अन्य पद के लिए अहस्तांतरणीय होगी तथा इसका पूर्ण दायित्व संबंधित अभ्यर्थी का होगा न कि मण्डल का।

9.3 (अ) आयु सीमा - उन समस्त पदों के लिए जिनके कि लिए मण्डल संयुक्त कनिष्ठ सेवा अर्हता परीक्षा आयोजित कर रहा है, न्यूनतम आयु-सीमा 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु-सीमा 40 वर्ष होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्गो, विभागों/निगमों/मण्डलों/आयोगों/स्वायत्तशासी निकायों/होमगार्ड में कार्यरत शासकीय सेवकों तथा महिला अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 45 वर्ष होगी। **अधिकतम आयु सीमा के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी संशोधन लागू समझे जाएंगे।** आयु सीमा की गणना भरती के चालू वर्ष की 1 जनवरी की स्थिति में की जाएगी :

(ब) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 73/104/2022/आ.प्र./2021 दिनांक 02 फरवरी 2022 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) के अभ्यर्थियो को आयुसीमा में छूट का प्रावधान नही है।

9.3.1 किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्हीं भी साधनों द्वारा समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा/चयन/साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिये निरर्हित माना जा सकेगा।

9.3.2 जिस आवेदक की दो से अधिक संतानें हो जिसमें से एक का जन्म 26.1.2001 को या उसके पश्चात हुआ हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। ऐसे उम्मीदवार आवेदन न करें।

9.3.3 शासन द्वारा निर्धारित आयु अर्थात महिलाओं के लिये 18 वर्ष एवं पुरूषों के लिये 21 वर्ष से कम में विवाह करने वाला उम्मीदवार नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। ऐसे उम्मीदवार आवेदन न करें।

9.3.4 कोई अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा जो महिलाओं के विरूद्ध अपराध के लिये दोष सिद्ध ठहराया गया हो: परन्तु किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध किसी न्यायालय में यदि ऐसे मामले लंबित है, तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले के अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जायेगा।

परंतु अधिकतम आयु सीमा गृह (पुलिस), आबकारी तथा जेल विभाग के कार्यपालक पदों के लिए लागू नहीं होगी। ऐसे विभागों के कार्यपालक पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा उनके भरती नियमों में विहित्त किए गए अनुसार लागू होगी :

परंतु यह और कि अधिकतम आयु सीमा में छूट जो कि शारीरिक रूप से विकलांग/भूतपूर्व सैनिक को प्रदान की जानी है, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/दिशा निर्देशों के अनुसार होगी:

परंतु यह भी कि सभी प्रकार की छूट सम्मिलित करते हुए किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग के लिए इस परीक्षा हेतु अधिकतम आयु-सीमा 45 वर्ष (संविदाकर्मी एवं कण्डिका 14 के अन्तर्गत आने वाले को छोडकर) से अधिक नहीं होगी।

9.4(1) मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों के लिए आयु सीमा :-

(i) **अभ्यर्थी** की आयु की गणना 01 **जनवरी** 2024 से निर्धारित की जावेगी।

(ii) सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रं.सी-3-11/12/1/3, दिनांक 03.11.2012 एव पत्र क्र./सी.3-11/2012/3 भोपाल दिनांक 13 जनवरी 2016, में संशोधित आदेश क्र; सी 3-8/2016/3-एक भोपाल दिनांक 12 मई 2017 एवं सी 3-8/2016/1/3 भोपाल दिनांक 04 जूलाई 2019 के अनुसार निम्न संवर्गो के अंतर्गत आने वाले अभ्यार्थियों की आयु सीमा की गणना निम्नानुसार है :-

क्र.	भर्ती का तरीका	लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर के तृतीय/ चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए
		न्यूनतम/ अधिकतम आयु सीमा (वर्ष में)
1	खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती के भरे जाने वाले पदो के लिए	18 से 40
	अनु.जा., अनु. जनजा. अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय / निगम/मण्डल/स्वशसी संस्था के कर्मचारियों / नगर सैनिक/ नि:शक्तजन/ महिलाओ (अनाराक्षित/आरक्षित) आदि के लिए	**18 से 45 (अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट)**

नोट:- सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा।

09. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल (म.प्र.)

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, भोपाल (म.प्र.) के पत्र क्रमाक 6620 दिनांक 11.07.2024 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है-

आरक्षण तालिका

पोस्ट कोड- 29- सीधी भर्ती - उप यंत्री (सिविल) - कुल 14 पद (कार्यापालिक) केवल VH दिव्यांग अभ्यर्थियो के लिये

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी हेतु		योग	दिव्यांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	14	--	--	--	--	--	14	दिव्यांगों की कुल 14 रिक्तियों में से 14 VH 00 EH 00 LD एवं 00 MD निशक्तजन के लिये आरक्षित है । जिस श्रेणी का निशक्तजन इन पदों लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है ।
2.	ई.डब्लू.एस.	--	--	--	--	--	--	--	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	--	--	--	--	--	--	--	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	--	--	--	--	--	--	--	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	--	--	--	--	--	--	--	
	योग	14	--	--	--	--	--	14	

वेतनमान-32800-103600 लेवल 08

शैक्षणिक योग्यता-

राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल संकाय में 03 वर्षीय डिप्लोमा।

आरक्षण तालिका

पोस्ट कोड- 30- सीधी भर्ती - उप यंत्री (सिविल) - कुल 07 पद (कार्यापालिक) केवल EH दिव्यांग अभ्यर्थियो के लिये

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी हेतु		योग	दिव्यांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	07	--	--	--	--	--	07	दिव्यांगों की कुल 07 रिक्तियों में से 00 VH 07 EH 00 LD एवं 00 MD निशक्तजन के लिये आरक्षित है । जिस श्रेणी का निशक्तजन इन पदों लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है ।
2.	ई.डब्लू.एस.	--	--	--	--	--	--	--	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	--	--	--	--	--	--	--	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	--	--	--	--	--	--	--	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	--	--	--	--	--	--	--	
	योग	07	--	--	--	--	--	07	

वेतनमान-32800-103600 लेवल 08

शैक्षणिक योग्यता-

राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल संकाय में 03 वर्षीय डिप्लोमा।

आरक्षण तालिका